Email

तत्काल/अत्यावश्यक

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26–अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल.

कमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/674/48 भोपाल,दिनांक :26 /4/2016

–:: परिपत्र ::–

ऑचलिक संयुक्त संचालकों की दिनांक 22 अप्रैल 2016 को संपन्न हुई मासिक समीक्षा बैठक में विस्तृत चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक मंडी और ऑचलिक कार्यालय में एक "Computer प्रकोष्ठ" की वर्तमान में उपलब्ध रिसोरसेस अन्तर्गत स्थापना की जावेगी। जिसके लियें ऑचलिक प्रभारी /मंडी सचिव के द्वारा विधिवत् आदेश जारी किया जायेगा। मंडी में इस प्रकोष्ठ का प्रभारी सहायक उप निरिक्षक पद से कमतर कर्मचारी नही होगा एवं ऑचलिक कार्यालय में इस प्रकोष्ठ का प्रभारी सहायक सांख्यिकी अधिकारी या सहायक संचालक स्तर का अधिकारी होगा।

मंडी सचिव उन्हे प्रदत्त वित्तिय एवं प्रशासनिक अधिकारों के तहत नियमानुसार "Computer प्रकोष्ठ" के लिये Computer, Printer, UPS, Scanner, LAN, Internet आदि की मंडी में उपलब्धता को संज्ञान में लेते हुए आवश्यकताओं का आंकलन करेंगे और ऑचलिक प्रभारियों से इन पर अनुसर्मथन प्राप्त कर नियमानुसार कय कर इनका उपयोग सुनिशिचत करवायेंगे।

मंडी सचिव और ऑचलिक प्रभारियों का यह भी दायित्व होगा कि वे स्वंय के साथ ही मंडी के सभी सहायक संचालक, मंडी निरिक्षक, सहायक उप निरिक्षक, एल डी सी, यू डी सी, लेखापाल, सहायक लेखापालों आदि को Computer साक्षर करने के लिये तत्काल समूचित ट्रेनिंग की व्यवस्था नियमानुसार करवायेंगे और ट्रेनिंग तथा यह कार्य 15 जुलाई 2016 तक आवश्यक रूप सें पूर्ण करना सुनिशिचत करेंगे। ट्रेनिंग प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी से नियमित Computer पर कार्य करावाया जावेगा और कार्य मूल्यांकन में प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में उनकी Computer साक्षरता पर और Computer पर कार्य करने के प्रति रूचि पर टीप भी अंकित की जावेंगी । ऐसे कर्मचारी या अधिकारी जिनके द्वारा ट्रेनिंग नही ली जाती है या ट्रेनिंग लेने के बाद निर्देश दिये जाने के उपरांत भी Computer पर कार्य नही किया जाता है का माह सितम्बर 2016 से वेतन का भुगतान नही किया जावेगा।

मंडी सचिव और ऑचलिक प्रभारियों के द्वारा मंडी में उपलब्ध एवं स्थापित होने वाले Computer या तथा अन्य उपकरणों के वर्षिक रख रखावों के लिये भी वार्षिक अनुबंध नियमानुसार किये जावेंगे और प्रदत्त वित्तिय एवं प्रशासनिक अधिकारों के तहत आवश्यकता अनुसार तकनिकी सेवाओं को प्राप्त करते हुए अधिक से अधिक प्रशासनिक कार्यो को Computer की मदद सें करने की व्यवस्थाओ को स्थापित एवं सुचारू संचालित करवाया जायेगा।

(अरूण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक / बोर्ड कार्मिक / ख / 674 / 49 भोपाल,दिनांक : 26 / 4 / 2016

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।

1– अपर संचालक,.............................(समस्त) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

2– संयुक्त संचालक,.............................(समस्त) म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

3– अपर संचालक / संयुक्त संचालक / उप संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय .... (समस्त)।

4– सचिव, कृषि उपज मंडी समिति .... (समस्त)।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल